संख्या-199/2026/2324/सैंतीस-2-2026/001-1(27)/2025-2012567

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-29 सितम्बर, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या 15 के अधीन बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-104/पशुधन-1/9ख/ब.प्र.स्था./2026-27, दिनांक-15.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-08-बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-33.00 लाख (रूपये तैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
04-यात्रा व्यय	1.00
07-मानदेय	1.00
08-कार्यालय व्यय	1.00
09-विद्युत देय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.50
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00
39-औषधि तथा रसायन	1.00
42-अन्य व्यय	1.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	10.00
योग-	**33.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये तैंतीस लाख मात्र)

1. वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन न हो, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
5. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित है।
9. प्रश्नगत धनराशि का आवंटन आय-व्ययक में उपलब्ध बजट के दृष्टिगत किया जा रहा है। धनराशि का नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग एतद्विषयक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403001060800 (बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	09 विद्युत देय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
6	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	39 औषधि तथा रसायन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
13	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	015	2403001060800 बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**33,00,000** **(रुपये तैंतीस लाख मात्र)**

महायोग	33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-1-149-X-2026-27, दिनाँक-25.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-199/2026/2324(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(27)/2025-2012567, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।